प्रेस विज्ञप्ति **14/12/2024**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने बीटीसी फंड घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत हेमंत शर्मा पुत्र ईश्वर शर्मा, निवासी 19/12, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड की 4.56 करोड़ रुपये (लगभग) की चल और अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। संपत्तियों में 4 अचल संपत्तियां और बैंक बैलेंस शामिल हैं।

ईडी ने पुलिस स्टेशन राजपुर, देहरादून, उत्तराखंड द्वारा दर्ज एफआईआर और पुलिस स्टेशन दिनेशपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड द्वारा भादस,1860 की विभिन्न धाराओं के तहत हेमंत शर्मा और अन्य के खिलाफ बीटीसीफंड.इन नामक वेबसाइट के माध्यम से लोगों को धोखा देने के आरोप में दर्ज मामले के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि हेमंत शर्मा ने धोखाधड़ी से बिटकॉइन की बिक्री से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया था, जिसे हेमंत शर्मा और अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित बीटीसीफंड.इन नामक साइट पर कई लोगों द्वारा निवेश किया गया था। हेमंत शर्मा ने उच्च रिटर्न के बहाने विभिन्न व्यक्तियों को लालच दिया और दावा किया कि कई विदेशी नागरिक भी उक्त कंपनी से जुड़े हैं और पूरे भारत के लोगों ने साइट में निवेश किया है।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि विभिन्न लोगों को धोखा देने से उत्पन्न अपराध के आगमों का उपयोग हेमंत शर्मा द्वारा 4 (चार) अचल संपत्तियों को हासिल करने के लिए किया गया था और इसका एक हिस्सा उसके अपने खाते में बैंक बैलेंस था।

आगे की जांच प्रगति पर है।